145/2017 हनुमान--मंजू

दिनांक	आज्ञा पत्र	
7.5.18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदिका रिस्पोडेन्ट सं0-1 ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बडवासी तहसील नवलगढ के खाता सं0-296 की आराजी ख0नं0 127 रकबा 0.81 हैक्टर स्थित है। जिसमें 1/3 हिस्सा आवेदीका राजस्व रेकार्ड में दर्ज है ।इस आराजी में 1/3 हिस्सा अनावेदक संख्या-11 का व 1/3 हि0 शान्ति पत्नी सुल्तान के नाम दर्ज है जिसकी मृत्यु हो चुकी जिसके वारिस अनावेदक संख्या-11 व 12 है ।ग्राम बडवासी में ख0नं0 122, 123, 124 कुल किता-3 रकबा 3.74 हैक्टर के खातेदार अनावेदक संख्या-1 से 10 है ।आवेंदीका की आराजी ख0नं0 127 की पूर्वी सीमा के सहारे अनावेदक सं0-1 से 10 की खातेदारी भूमि ख0नं0 122 है। ख0नं0 122 व 127 के पुराने	

सत्यमेव जयते
Copy Not Official

ख0नं0 175 थे । ख0नं0 122 व 127 के खातेदारों का संयुक्त खाता था। अर्थात ख0नं0 175 की शामिल में काश्त करते थे । जिसमें आने जाने का कटानी रास्ता दक्षिण पूर्वी दिशा में सटकर था जिसे नजरी नक्शे में दर्ज किया है । ख0नं0 175 के नये नम्बर बन जाने पर आराजी का बंटवारा हो जाने पर ख0नं0 127 आवेदिका के पास तथाअनावेदक संख्या-11 व 12 के पास आया । तथा ख0नं0 122 अनावेदक संख्या-1 से 10 के हिस्से में आया । आवेदिका अपने ख0नं0 127 में ख0नं0 122 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे होकर आवा जाही करती रही है जो 10 फुट चौडा है । इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता आवेदीका के खेत में जाने का नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर यह रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं अपर राजस्व अपील अधिकारी सीकर

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने अपने प्रार्थना पत्र में ख0नं0 127 में अपना 1/3 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या-7 व 8 को इस आराजी का सह खातेदार बताया है। ख0नं0 122, 123 व 124 की खातेदारी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-2 से 6 की बताई है। उक्त आराजी गत ख0नं0 175 से बनना बताया तथा वह ख0नं0 127 में ख0नं0 122 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे आना बताया है जबकि वह ख0नं0 129 व 132 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे आती जाती है। ख0नं0 122 राजस्थान ग्रामीण बैंक बडवासी तथा ओ0बी0सी0 शाखा नवलगढ के रहन है जिसका पक्षकार नहीं बनाया । दिनांक 19-6-15 को ख0नं0 122 की मौका रिपोर्ट में ख0नं0 122 के दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे मकान व छप्पर होना अंकित किया हैतथा मौके पर फसल बोना बताया हैतथा रास्ते के कोई पद चिन्ह नहीं बताये है। अपीलान्ट ख0नं0 122 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे 10 वर्ष पूर्व ही मकान छप्पर बनाकर आबाद है । तथा इस दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे अपीलान्ट ने तारबन्दी कर रखी है । रेस्पोडेन्ट संख्या -1 को ख0नं0 132 व 129 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे रास्ता दिया जाता है तो वह सबसे कम दूरी का होगा तथा कोई मौके पर अवरोध नहीं है । रेस्पो0 सं0-1 ने उक्त निर्णय में दिनांक 19-11-15 को रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अपीलान्ट को बिना सुने उसी दिन स्वीकार कर निर्णय में संशोधन कर दिया। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे । तथा प्रकरण रिमाण्ड किया जावे जिसमें ख0नं0 129 व 132 में रास्ते के लिये प्रार्थना पत्र पेश कर सकती है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।नकल जमाबन्दी सं0-2030 से 2033 में ख0नं0 113 व 175 कुल किता-2 रकबा 28 बीघा 8 बिस्वा की खातेदारी लिछमण, छाजू, सुखदेवा पि0 अर्जुन के नाम दर्ज है ।मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया जिसके आधार पर गत ख0नं0 175 के हाल ख0नं0 122, 123, 124 व 127 बने हैं । जमाबन्दी सं0 2066 से 2069 में उक्त खसरा नम्बरों की खातेदारी संयुक्त रूप से हनुमानसिंह पुत्र झाबर 1/3, सुखदेवा पि0 अर्जुन हि0 1/3, झण्डू पुत्र छाजूराम हि0 1/3 दर्ज है ।जमाबन्दी सं0-2067 से 2070 में ख0नं0 127 में 1/3 हिस्सा की खातेदारी रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 के नाम दर्ज है । राजस्व रेकार्ड से यह स्पष्ट है कि उक्त आराजी की खातेदारी पूर्व में गत ख0नं0 175 एवं उसके बाद बने ख0नं0308से 311की संयुक्त रूप से रही इसके बाद बने ख0नं0 122, 123, 124 व 127 की खातेदारी भी संयुक्त रही है ।बाद में ख0नं0 127 में 1/3 हिस्सा रेस्पोन्डेन्ट सं0-1 के नाम रही है जिसमें आने जाने का रास्ता ख0नं0 122 की दक्षिणी सीमा से बताया है । मौका रिपोर्ट नायब तहसीलदार दि0 19-6-15 के अनुसार रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 के खेत ख0नं0 127 में आने जाने का रास्ता ख0नं0 122 की दक्षिणी सीमा से बताया किन्तु इस पर अपीलान्ट एवं रेस्पो0 सं0-2 से 5 ने पक्की ईंटो का डारा व एक छप्पर बना रखा है जो नया है ।इस रास्ते के अलावा ख0नं0 122 में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है । अदालत मातहत ने मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा में सबसे कम दूरी का रास्ता होने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता दिये जाने का आदेश दिया है वह उचित एवं विधिक है । जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अत: अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से खारिज

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	रखा जाता है । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय सुनाया गया । 7/5/18 (शंकरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	